ायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

कौशिल्या पति बुद्धसेन साहू सा0 पुरवा तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0....................निगरानीकर्ता

बनाम्

ज्ञानेन्द्र प्रसाद पिता तेजस्वी प्रसाद चतुर्वेदी सा0 पुरवा तहसील देवसर जिला सिंगरौली ....अनावेदक

निगरानी आदेश खिलॉफ न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द तहसील देवसर के प्रकरण कमांक 60/अ–12/11.12 में पारित आदेश दिनांक 4.7.12

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

मान्यवर,

निम्नांकित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है:–

1.यहकि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 4.7.12 का आदेश विधि प्रक्रिया व सहज न्याय सिद्धांतों के खिलाफ होने से निरस्तगी योग्य है।

2.यहकि ग्राम पुरवा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 249/1/1 , 249/1/2 आवेदिका के स्वतंत्र भूमिस्वामी स्वत्व की कब्जे दखल की भूमियॉ हैं। जिस पर लगायत कई वर्षो से आवेदिका का निर्विवाद कब्जा दखल आबादी कोलिया लायन वृक्ष मौजूद है।

3.यहकि अनावेदक द्वारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमियों के सीमांकन का आवेदन राजस्व निरीक्षक के न्यायालय में किया गया जिसपर राजस्व निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा बिना स्थल पर गये मौके के प्रतिकूल,कब्जे के विपरीत अपना प्रतिवेदन देकर आवेदिका के भूमिस्वामी स्वत्व के कब्जे वाले उपजाउ प्लाट पर अनावेदक का प्लाट बनाकर उसी आधार पर सीमांकन की पुष्टि कर के कानूनी भूल की गयी है जिससे उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(177)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.890–III / 2013 जिला–सिंगरौली

कौशिल्या साहू / ज्ञानेन्द्र प्रसाद

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल गिर्द, तहसील देवसर प्रकरण क्रमांक 60 / अ–12 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा) सदस्य	